राजस्थान रूरल लाईवलीहुड परियोजना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तिय वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना लागू करने की घोषणा की गई। जिसके क्रम में **''राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना''** (आरआरएलपी) के प्रस्ताव तैयार कर विश्व बैंक को प्रस्तुत किये गये। परियोजना की स्वीकृति विश्व बैंक बोर्ड की बैठक दिनांक 11.1.2011 में कर दी गई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना हेतु विश्व बैंक एवं भारत सरकार के साथ दिनांक 24.5. 2011 को लीगल डॉक्यूमेन्ट्स हस्ताक्षरित किये गये है तथा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता दिनांक 22.6.2011 से प्रभावी हो गई है। प्रस्तावित परियोजना से राज्य के 4 लाख बीपीएल परिवारों को स्थाई जीविकोपार्जन के संसाधन एवं आवश्यक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाकर इनका आर्थिक स्तर गरीबी रेखा से उपर उठाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य

(1) 4 लाख चयनित बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाना (आय में स्थाई वृद्धि)।
(2) चयनित परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोडते हुये क्षमता वर्धन के माध्यम से सशक्तिकरण।
(3) गठित स्वयं सहायता समूहों का बैंक साख हेतु क्षमता वर्धन।

परियोजना लागत

प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत रू. 870 करोड़ (बैंक ऋण के अतिरिक्त) आंकलित की गई है। आंकलित लागत के स्त्रोत निम्न प्रकार हैः–

(a)	World Bank (IDA) Share	Rs. 769.90 crore (equal to 150 million US$)
(b)	The share of Government of Rajasthan	Rs. 100.10 crore
Total (a+b+) Project Cost		**Rs. 870 crore**

परियोजना की विशिष्टतायेंः–

1. स्वयं सहायता समूहों के साथ– साथ उनकी उच्च स्तरीय संस्थाओं का गठन।
2. एक से अधिक स्वरूप में वित्तीय सहायता।
3. अनुदान के स्थान पर बचत एवं साख की पद्धति ज्यादा सफल।
4. आजीविका संसाधनों का विकेन्द्रीयकरण।
5. सामुदायिक एवं आजीविका सुरक्षा।
6. राज्य स्तर से गांव स्तर तक समर्पित संस्थापन।
7. समुदाय की लागत आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण।
8. समुदाय से समुदाय का क्षमतावर्धन।
9. दक्षतावर्द्धन एवं सुनिश्चित रोजगार।

10. प्रभावी संचालन :–

(अ) जी.आई.एस. आधारित सीएमआईएस सिस्टम।

(ब) आईसीटी आधारित मोबाईल ट्रेकिंग।

(स) टेली के द्वारा लेखा एवं वित्तीय प्रोसेस मोनेटरिंग।

अन्य योजनाओं के साथ कनवर्जेन्सः–

परियोजना के अन्तर्गत इस बिन्दु पर ध्यान दिया जायेगा कि परियोजना क्षेत्र में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिये संचालित योजना का लाभ भी गरीबों को पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके, जैसे कि एन.आर.एच.एम., सर्व शिक्षा अभियान, टी.एस.सी., नरेगा एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनायें जो कि गरीबी उन्मूलन से सीधा संबंध रखती है।

परियोजना क्रियान्वयनः–

परियोजना का क्रियान्वयन परियोजना सहयोग दल (पी.एफ.टी) के माध्यम से करवाई जावेगी। परियोजना सहयोग दल गरीबों के स्वयं सहायता समूहों का गठन, क्षमता वर्धन, जीविकोपार्जन गतिविधियों के लिये तकनीकी सहायता, समूहों की गुणवत्ता एवं स्थायित्व, समूहों के उत्पादों की विपणन व्यवस्था, समूहों का फेडरेशन एवं प्रोडूसर ओर्गेनाईजेशन के गठन एवं विकास इत्यादि कार्य आवश्यकतानुसार करवाये जायेगे।

परियोजना का क्षेत्रः–

परियोजना राज्य के निर्धनतम 17 जिलों (बांसवाडा, बारां, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड, करौली, कोटा, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं उदयपुर) में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का गठनः–

राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लाइवलीहुड से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु राज्य मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 29.9.2010 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (सोसायटी) के गठन का अनुमोदन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके अध्यक्ष, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इसके उपाध्यक्ष है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्धियॉः–

(i) परियोजनान्तर्गत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु आवश्यक सोसियल एसेसमेंट, ट्रायबल डवलपमेंट फ्रेम वर्क एवं जेण्डर एक्सन प्लान अध्ययन विकास संस्थान के माध्यम से तैयार करवाये जाकर इनको परियोजना रिपोर्ट में समाविष्ट किया गया है।

(ii) एनवायरमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की विस्तृत रिपोर्ट ''दा एनर्जी एण्ड रिसोर्स इन्सटीट्यूट'' (टेरी) से तैयार करवाकर उसके प्रावधान भी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन प्लान में शामिल किये गये है।

(iii) परियोजना क्रियान्वयन हेतु विस्तृत रिर्पोट तैयार करने की गतिविधि के अन्तर्गत, प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन (पीआईपी), वित्तीय, प्रोक्योरमेंट, कम्यूनिटी ऑपरेशनल एवं एच.आर. मेन्युअल के ड्राफ्ट तैयार कर विश्व बैंक को प्रस्तुत किये गये जिन पर विश्व बैंक द्वारा सहमति प्रदान की गई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना हेतु विश्व बैंक एवं भारत सरकार के साथ दिनांक 24.5.2011 को लीगल डॉक्यूमेन्ट्स हस्ताक्षरित किये गये है तथा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता दिनांक 22.6.2011 से प्रभावी हो गई है।

<u>प्रस्तावित क्रियान्वयन :–</u>

परियोजना हेतु तैयार किये गये प्रोजेक्ट इम्पलीमेटेशन प्लान (PIP) में परियोजना अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों का वर्षवार कार्यक्रम निम्न प्रकार तैयार किया गया है :–

RRLP Phasing of Project Activities							
S.N.	**Activity**	**1st Yr**	**2nd Yr**	**3rd Yr**	**4th Yr**	**5th Yr**	**Total**
1	Districts	17					**17**
2	Establishment of PFT	34	76				**110**
3	Village Entry (percent)	18	65	17			**100**
4	SHGs in the Fold of the Project	2550	19398	9684	1368		**33000**
5	Cluster Development Organization	340	1123	646	91		**2200**
6	PFT Area federation			17	38		**55**
7	Producer Organization			8	9		**17**
8	Skill Upgrading & Training	680	5100	5100	6120		**17000**
9	Groups Linked with Banks		1785	13579	6779	958	**23100**